संख्या-77/2019/2178/19-27-सिं-9-49एसएवी/08

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) के पत्र संख्या-244/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 30.05.2019 एवं शासनादेश सं0-58/2019/984/19-27-सिं-9-49एसएवी/08, दिनांक 23.04.2019 एवं सं0-75/2019/1330/19-27-सिं-9-49एसएवी/08, दिनांक 24.06.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत पूंजीलेखा में एल0टी0आई0एफ0 वित्त पोषित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1385.2475 करोड़ में से धनराशि रू0 6,00,00,00,000.00 (रूपये छः अरब मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(2) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष प्रश्नगत योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 का बकाया केन्द्रांश भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करेंगे तथा योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से कराये जाने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रायोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(8) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

37

Photo Attested
24/02/2020
(SANTOSH KUMAR)
अधिशासी अभियन्ता
नहर निर्माण खण्ड-2
तुलसीपुर-बलरामपुर

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(10) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(11) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा कार्य की फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा समय से कार्य पूरा कराया जाएगा ।

(12) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना प्रथम एवं द्वितीय प्रत्येक माह व्यय किए जाने वाली धनराशि का बार चार्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे।

(13) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में वित्तीय स्वीकृतिया निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-9 को प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जाय ।

(16) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्रधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए । इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये ।

(17) उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि पर विभाग भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

(18) परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-177/2017/4106/17-27-सिं-9-49एसएवी/08टीसी, दिनांक 21-12-2017 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-17-सरयू नहर परियोजना(वाणिज्यिक)-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य(एल0टी0आई0एफ0पोषित)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा ।

--3

24/02/2020
SANTOSH KUMAR
अधिशासी अभियन्ता
...नी नहर निर्माण खण्ड-2
...लसीपुर-बलरामपुर

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-8-1710/दस-2019, दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय

(मुश्ताक अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या-77/2019/2178(1)/19-27-सिं-9-49एसएवी/08 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
(4) प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(6) मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(7) मुख्य अभियन्ता(सरयू परियोजना-प्रथम)/(द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या/गोण्डा।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
(9) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राम नारायण त्रिपाठी)
उप सचिव।

Photo copy

24/2/2020
(SANTOSH KUMAR)
अधिशासी अभियन्ता।
...ती नहर निर्माण खण्ड-2
...ुलसीपुर-बलरामपुर